



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032025-261443  
CG-DL-E-03032025-261443

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147]  
No. 147]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 3, 2025/फाल्गुन 12, 1946  
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2025/PHALGUNA 12, 1946

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2025

फा. सं. विगन पर विशेषज्ञ समिति- पहली बैठक .—खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) विनियम, 2022 में आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई), केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के साथ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (फ़) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है एवं इसके लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए कथित अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा [regulation@fssai.gov.in](mailto:regulation@fssai.gov.in) पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप विनियम

1. इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
  2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) विनियम, 2022 (जिन्हें एतद्पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा) के अन्तर्गत -
- (1) विगन खाद्य अनुपालन से संबंधित विनियम 5 के उप-विनियम 3 में “प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप” शब्दों को “इन विनियमों के प्रारूप-I” से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (2) विगन खाद्य अनुपालन से संबंधित विनियम 5 के बाद निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा-

### प्रारूप - I

निर्यातक देश के मान्यता प्राप्त प्राधिकारी\* द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र

(विनियम 5 के उप विनियम 3 का संदर्भ लें)

[खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) विनियम, 2022 के अनुसार विगन लोगो पुष्टि हेतु आवेदन करने वाले उत्पादों के लिए]

प्रेषण करने वाला देश	
1. प्रेषक/ निर्यातक नाम पता	2. प्रमाणपत्र संख्या 3. निर्यातक देश के मान्यता प्राप्त प्राधिकारी का नाम और उनका संपर्क संबंधी विवरण :
4. प्राप्तकर्ता / आयातक : नाम पता	
5. मूल देश जहाँ माल तैयार हुआ है :	
6. गंतव्य देश	
7. परिवहन/ भंडारण की शर्तें जिनका पालन किया जाना आवश्यक है	
8. उत्पाद संबंधी विवरण	
क. उत्पादों के नाम (एफएसएसआर के अनुसार निकटतम खाद्य श्रेणी)	
ख. उत्पादक/ विनिर्माता (नाम और पता)	
ग. लॉट सं. / बैच सं.	
घ. निवल भार :	
ड. युनिट/ पैकेज की संख्या	
च. पैकेजिंग का प्रकार	
छ. उत्पादन/ पैकेजिंग की तारीख	
ज. समाप्ति तिथि (यदि प्रयोज्य हो तो)	
9. उत्पादन की संरचना	10. अपेक्षित प्रयोजन

11. क्या गंतव्य देश में उत्पाद की रिपैकिंग व रिलेबलिंग की जानी है - क. यदि हाँ, तो निरीक्षण संबंधी निकासी के लिए प्रांगण परिसर का विवरण उपलब्ध कराएँ	हाँ / नहीं
12. घोषणापत्र अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी प्रमाणित करता है कि ऊपर वर्णित उत्पाद निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:	
क. खाद्य उत्पाद (उत्पादों) में सुरक्षा मूल्यांकन सहित किसी भी उद्देश्य के लिए कोई पशु परीक्षण शामिल नहीं है जब तक कि किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो।	
ख. नॉन-विगन उत्पादों की अनेपक्षित उपस्थिति को रोकने के लिए उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के चरणों को अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के अनुरूप उचित सावधानियों के साथ डिजाइन किया गया है।	
ग. विगन और नॉन विगन कच्चे माल को अलग – अलग संग्रहित किया जाता है। उपरोक्त कंपनी की उत्पादन सीमा नॉन विगन उत्पादों या सामग्रियों से अलग है।	
घ. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शाकाहारी उत्पादों का उत्पादन शुरू होने से पहले सभी संबंधित मशीनरी, उपकरण, बर्तन और सतहों के लिए अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के अनुरूप पूरी तरह से सफाई या तुलनीय उपाय किए गए हैं।	
ङ. उत्पादों और उनके स्रोत का पता लगाने की क्षमता स्थापित की गई है।	
13. प्राधिकृत अधिकारी :	
नाम:	पदनाम:
दिनांक :	हस्ताक्षर :
अधिकारिक मुहर:	

\* निर्यातक देश में विगन खाद्य पदार्थों का नियामक प्राधिकरण / मान्यता प्राप्त निकाय / मान्यता प्राप्त तृतीय पक्ष प्रमाणित निकाय

जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./1005/2024-25]

**टिप्पण :** खाद्य सुरक्षा और मानक (विगन खाद्य) विनियम, 2022 का प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में दिनांक 10.06.2022 को जारी अधिसूचना संख्या फा.सं. मानक/टीएफ-वेगन फूड्स/नोटिफिकेशन/एफएसएसएआई द्वारा किया गया।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2025

**F. No. ExpertcommitteeonVegan-1stmeeting.**—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022, which the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) proposes to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 read with sections 16 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhavan, Kotla Road, New Delhi – 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, shall be considered by the Food Authority.

### Draft Regulations

1. These regulations may be called the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Amendment Regulations, 2025.
2. In the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022 (herein after referred as said regulations), -
  - (1) In sub regulation 3 of regulation 5 relating to vegan food compliance, for the words “the format as specified by the authority is accepted”, the words and figures “form i of these regulations” shall be substituted.
  - (2) After regulation 5 relating to vegan food compliance, the following shall be inserted, namely: -

### FORM – I

#### Certificate to be issued by the recognized authority\* of the exporting country

(Refer sub regulation 3 of Regulation 5)

[For products applied for Vegan logo endorsement as per Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022]

Country of dispatch	
1. Consignor/Exporter Name Address	2. Certificate number 3. Recognized Authority of the exporting Country and its contact details:
4. Consignee/Importer: Name Address	
5. Country of origin:	
6. Country of destination	
7. Conditions for transport/storage to be maintained	
8. Product Description	
a. Name of the product/s (Nearest food category as per FSSR)	
b. Producer/manufacturer (name & address)	
c. Lot no./Batch no.	
d. Net weight:	
e. No. of unit/packages	
f. Type of packaging	
g. Date of manufacture/packaging	
h. Date of expiry (If applicable)	
9. Product composition	10. Intended purpose
11. Whether the product is meant for repacking or relabeling in destination country. a. If Yes, then details of premises for Inspection clearance.	YES/NO
12. Declarations	
The undersigned Authorized Official certifies that the product(s) described above satisfies the following requirements:	

<p>a. The food product(s) has not involved any animal testing for any purpose including safety evaluation, unless provided by any Regulatory Authority.</p> <p>b. The stages of production, processing, and distribution are designed with appropriate precautions in conformity with Good Manufacturing Practices to avoid the unintended presence of non-vegan substances.</p> <p>c. Vegan and non-vegan raw materials are stored separately. The production line of the above company is separate from Non-vegan products or ingredients.</p> <p>d. If Not separate thorough cleaning or comparable measures in conformity with Good Manufacturing Practices have been carried out before production of vegan products commences and also for all associated machinery, equipment, utensils, and surfaces.</p> <p>e. Backward traceability of ingredients and their source is established.</p>	
13. Authorized official:	
Name:	Designation:
Date:	Signature:
Official stamp:	

\* Regulatory Authority/Recognized accreditation body/Recognized Third party certifying body of Vegan Foods in the exporting country.

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./1005/2024-25]

**Note:** The Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 *vide* notification number F. No. Std/TF-Vegan Foods/Notif./FSSAI dated 10.06.2022.